फाईल नं0-23-9002(002)/55/2021/लोक निर्माण अनुभाग-9

संख्या-187/2021/आई0/117870/2021

प्रेषक,

महेश कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-27 योजनान्तर्गत जनपद बरेली के 01 सेतु परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र संख्या-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/115/राज्य परियोजना विभाग/ आरआईडीएफ-04/RIDF-XXVII/2021-22, दिनांक 24.08.2021 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-361/नदीसेतु/नाबार्ड/बी0एम0सी0/2021, दिनांक 09.09.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदानसंख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत संलग्न सूची में वर्णित जनपद बरेली के 01 ग्रामीण सेतु परियोजना के निर्माण के लिये कुल लम्बाई 790.58 मी0 व कुल लागत रू0 62,27,42,000/- (रूपये बासठ करोड़ सत्ताइस लाख बयालिस हजार मात्र) (जिसमें नाबार्ड द्वारा अनुमोदित धनराशि में प्रस्तावित सेतुओं की मूल लागत पर इनबिल्ट चार्ज, कन्टीजेन्सी, जी0एस0टी0, लेबर सेस, सेन्टेज चार्ज एवं भूमि अध्याप्ति की धनराशि सम्मिलित है), की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-19 के अनुसार रू0 12,45,48,000/- (रूपये बारह करोड़ पैंतालिस लाख अड़तालिस हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 981.31 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 264.17 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जांय ।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। सेतु की लम्बई/चौड़ाई में परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय-वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी । प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनरशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2/23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी ।

(8) लेबर सेस की एक प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(12) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(13) प्रायोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेग कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्य में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह के आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(16) प्रश्नगत परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-831/23-1-10(रिट)/10, दिनांक 20.04.10 के अनुपालन में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त अपेक्षित अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई है।

(17)भूमि की अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सेतु निर्माण में एबटमेन्ट व उससे एडज्वायनिंग स्पान में डेक स्तर तक का कार्य प्राथमिकता पर किया जाय एवं पहुंच मार्ग का कार्य भी सेतु निर्माण के साथ साथ सम्पादित किया जाय। पहुंच मार्ग व सेतु पर आवश्यकतानुसार रोड सेफ्टी के कार्य भी कराये जायें।

(19) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

(21) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण 4.92 हे0 हेतु लागत रू0 487.04 लाख है, विभाग समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए इनका अधिग्रहण न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सी0ए0एल0ए0 (कम्पीटेन्ट अथॉरिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से किया जाय।

(22) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित करे कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-36-प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-00-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-21-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अनुदान संख्या- 57 हेतु अशासकीय संख्या-ई-8-2190-दस-2021-2022 तथा अनुदान संख्या-83 हेतु अशासकीय संख्या-ई-8-2191-दस-2021-2022, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

(महेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
5- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
7- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
13- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(महेश कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-187/2021/आई0/117870/2021-फाईल नं0-23-9002(002)/55/2021-लोक निर्माण अनुभाग-9, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 का

संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	सेतु की लम्बाई (मी0)	नाबार्ड को प्रेषित लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	इनबिल्ट चार्ज लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	कन्टीजेन्सी (कॉलम 5+6 का 1 प्रतिशत)	जी0एस0टी0 (कॉलम 5+6+7 का 12 प्रतिशत)	लेबर सेस) (कॉलम - 5+6+7 का 1 प्रतिशत)	सेन्टेज (कॉलम-5+6+7 का 12.50 प्रतिशत)	भूमि अध्याप्ति	योग (सेतु, पहुंच मार्ग भूमि अध्याप्ति सहित) कॉ)लम-5 से 11 तक का योग)	प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति	इन-इलीजी बिल कॉस्ट	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश (कॉलम 13-15)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
																अनु0-57	अनु-083	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बरेली	जनपद बरेली में शिवपुरी-मदनापुर / कपूरपुर मार्ग पर (निकट कैलाश मणि) रामगंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	790.58	3918.49	0.00	39.18	474.92	39.58	494.71	0.00	4966.88	6227.42	0.00	4981.94	1245.48	981.31	264.17	1245.48
				610.24	0.00	6.10	73.96	6.16	77.04	487.04	1260.54							
			योग-	**4528.73**	**0.00**	**45.28**	**548.88**	**45.74**	**571.75**	**487.04**	**6227.42**							

(अवमुक्त धनराशि रू0 बारह करोड़ पैंतालिस लाख अड़तालिस हजार मात्र)

(महेश कुमार)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।